

राज्यपाल के अपर सचिव
Additional Secretary to Governor



दूरभाष Telephone

कार्यालय OFF: 2858823-24

निवास RES: 2858826

फैक्स FAX: 2858825, 2858816

राजभवन, भोपाल-462 003

Raj Bhavan, Bhopal-462 003

क्र. 337/2021/रा.स./यू.ए.1

दिनांक 05 अप्रैल, 2021

प्रति,

समस्त कुलपति,
मध्यप्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय

विषय : विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पर कार्यपरिषद/प्रबंध बोर्ड के सदस्यों एवं संकायाध्यक्षों की जानकारी अपलोड किए जाने के संबंध में ।

विश्वविद्यालयों की वेबसाइट को देखने पर यह स्पष्ट हुआ है कि वेबसाइट पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद/प्रबंध बोर्ड के समस्त सदस्यों एवं विभिन्न संकायों के नियुक्त संकायाध्यक्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि वेबसाइट पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद/प्रबंध बोर्ड के समस्त सदस्यों के नाम उनके कार्यकाल एवं विभिन्न संकायों के नियुक्त संकायाध्यक्षों के नाम, संकाय का नाम एवं कार्यकाल की जानकारी अपलोड की जावे एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर यथासमय सुधार कर अद्यतन भी की जावे ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

~~...~~ /A.R.(Acad.)

03/04/21

राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश

vc/477
06/04/21

vc/478
07/04/21

विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययनमंडलों में नामांकित प्राध्यापकों की विषयानुसार सूची

1. हिन्दी अध्ययनमंडल
2. अंग्रेजी अध्ययनमंडल
3. संस्कृत अध्ययनमंडल
4. संगीत अध्ययनमंडल
5. चित्रकला अध्ययनमंडल
6. पुस्तकालय अध्ययनमंडल
7. दर्शनशास्त्र अध्ययनमंडल
8. इतिहास अध्ययनमंडल
9. भूगोल अध्ययनमंडल
10. समाजशास्त्र अध्ययनमंडल
11. राजनीति विज्ञान अध्ययनमंडल
12. अर्थशास्त्र अध्ययनमंडल
13. मनोविज्ञान अध्ययनमंडल
14. सैन्य विज्ञान अध्ययनमंडल
15. प्रा०भा०इति० संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनमंडल
16. गृहविज्ञान अध्ययनमंडल
17. विधि अध्ययनमंडल
18. शिक्षाशास्त्र अध्ययनमंडल
19. भौतिकी अध्ययनमंडल
20. रसायन शास्त्र अध्ययनमंडल
21. गणित अध्ययनमंडल
22. भू-विज्ञान अध्ययनमंडल
23. वनस्पति अध्ययनमंडल
24. प्राणि विज्ञान अध्ययनमंडल
25. जैव रसायन अध्ययनमंडल
26. पर्यावरण अध्ययनमंडल
27. वाणिज्य अध्ययनमंडल
28. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अध्ययनमंडल
29. फार्मेसी अध्ययनमंडल

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

30 1

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/232

दिनांक : 11/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा हिन्दी अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. रिक्त

28(2)दो

1. प्रो० विष्णु कुमार अग्रवाल,
शा० स्ना० उत्कृष्ट महा०, मुरैना।
2. डॉ० शिवकुमार शर्मा,
माधव महाविद्यालय, ग्वालियर।

28(2)तीन

1. रिक्त


28(2)चार

1. डॉ० आशा कुमारी,
शा० एस०एल०पी० महा० ग्वालियर।
2. डॉ० प्रतिभा पाण्डेय,
शा० पी०जी० कॉलेज, दतिया।

28(2)पाँच

1. डॉ० उर्मिला सिंह तोमर,
शा० के०आर०जी० महा० ग्वालियर।
2. डॉ० इला द्विवेदी,
शा० पी०जी० कॉलेज, दतिया म०प्र०।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो० विष्णु कुमार अग्रवाल को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. हिन्दी अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 231


दिनांक : 11/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा अंग्रेजी अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ0 ए0एस0 कुशवाह, शा0 एस0एल0पी0 महा0 मुरार, ग्वालियर। 2. डॉ0 एन0एस0 निरंजन, विजयाराजे शा0 कन्या स्नातकोत्तर महा0 मुरार, ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ0 रियाज अली, शासकीय महाविद्यालय, फूप, भिण्ड। 2. डॉ0 रजनी सिंह कारखुर, शा0 स्नातकोत्तर स्वशासी महा0 दतिया।
28(2)पाँच	1. डॉ0 अलका सिंह, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर। 2. डॉ0 मुकेश शर्मा, शा0 कन्या स्नातक महाविद्यालय, शिवपुरी।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ0 ए0एस0 कुशवाह को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अंग्रेजी अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/२३३

दिनांक : 11/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा संस्कृत अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो० एस०के० द्विवेदी, समन्वयक ज्योतिर्विज्ञान, प्रा०भा०इति०संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।

28(2)दो

1. डॉ० (श्रीमती) कमलेश माथुर, शा० स्वशासी स्नातकोत्तर महा० दतिया।
2. डॉ० महाराज सिंह कुशवाह, श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया स्नातकोत्तर महा० अड़ोखर।

28(2)तीन

1. रिक्त

28(2)चार

1. डॉ० कृष्णा जैन, शा० के० आर० जी० महा० ग्वालियर।
2. डॉ० आशा शर्मा, कुसुमबाई जैन कन्या महा० भिण्ड।

28(2)पाँच

1. डॉ० विकास शुक्ल, माधव महाविद्यालय ग्वालियर।
2. डॉ० मधुलता जैन, शा० एस०एम०एस० पी०जी० महा० शिवपुरी।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ० (श्रीमती) कमलेश माथुर को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संस्कृत अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

(27)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 227


दिनांक : 11/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा संगीत अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. प्रो0 बी0डी0 माणिक, विजयाराजे शास0 कन्या स्नातकोत्तर महा0 मुरार। 2. डॉ0 स्मिता सहस्त्रबुद्धे, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ0 संजीव भंडारी, विजयाराजे शा0 कन्या स्नातकोत्तर महा0 मुरार। 2. डॉ0 अनूप मोघे, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. डॉ0 अतुल कुमार गुप्ता, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर। 2. डॉ0 भागवन्ती, विजयाराजे शा0 कन्या स्नातकोत्तर महा0 मुरार।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो0 बी0डी0 माणिक को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संगीत अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका०/पाठ्यक्रम/2019/ 229

दिनांक : 1 | 8 | 19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा चित्रकला अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ० जया जैन, शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर। 2. डॉ० कुमकुम माथुर, शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ० संगीता अग्रवाल, माधव महाविद्यालय, ग्वालियर। 2. डॉ० मीरा जैन, जे०सी० मिल्स कन्या स्नातकोत्तर महा० ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. रिक्त।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ० जया जैन को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. चित्रकला अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

(23) (6)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 236


दिनांक : 21/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा पुस्तकालय अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. प्रो0 हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर। 2. प्रो0 जे0एन0 गौतम, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।
28(2)दो	1. डॉ0 नीरजा वर्मा, प्राध्यापक, पुस्तकालय विज्ञान, एम0एल0बी0 शा0 उत्कृष्ट महा0 ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ0 जितेन्द्र श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, एम0एल0बी0 शा0 उत्कृष्ट महा0 ग्वालियर। 2. डॉ0 सरिता वर्मा, सहा0 प्राध्यापक, एम0एल0बी0 शा0 उत्कृष्ट महा0 ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. डॉ0 अरविन्द कुमार शर्मा, सहा0 प्राध्यापक, एम0एल0बी0 शा0 उत्कृष्ट महा0 ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो0 हेमन्त शर्मा को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. पुस्तकालय अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका०/पाठ्यक्रम/2019/ २३०


दिनांक : ११/८/१९

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ० विजया लक्ष्मी गुप्ता, शा० एम०एल०बी० महा० ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. रिक्त।
28(2)पाँच	1. डॉ० संध्या मोघे, शा० के०आर०जी० कॉलेज, ग्वालियर। 2. डॉ० हेमन्त नामदेव, शा० एम०एल०बी० महा० ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ० विजया लक्ष्मी गुप्ता को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. दर्शनशास्त्र अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका०/पाठ्यक्रम/2019/ 258


दिनांक : 21/08/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा इतिहास अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ० (श्रीमती) मीना श्रीवास्तव, शा० के०आर०जी० स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर। 2. डॉ० नीरज गोयल, प्राध्यापक, विजयाराजे शा० कन्या पी०जी० कॉलेज, मुरार।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ० संतोष शर्मा, सहा-प्राध्यापक, माधव महाविद्यालय, ग्वालियर। 2. डॉ० ममता राजावत, सहा-प्राध्यापक, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय, चार शहर का नाका हजीरा, ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. प्रो० एस०के० द्विवेदी, आचार्य प्रा०भा०इति० संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर। 2. डॉ० मनोज अवस्थी, सहा-प्राध्यापक, माधव महाविद्यालय, ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ० (श्रीमती) मीना श्रीवास्तव को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. इतिहास अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका०/पाठ्यक्रम/2019/ २५७


दिनांक : 6/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा भूगोल अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ० श्रीमती निर्मला खलस्रो, सहा-प्राध्यापक, शा० एम०जे०एस० स्नातकोत्तर महा०, भिण्ड। 2. डॉ० शैलेन्द्र सिंह तोमर, प्राध्यापक, शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ० अनिता कैमोर, सहा-प्राध्यापक, स्व० श्रीमती इंदिरागांधी शा० कन्या महा० शिवपुरी। 2. डॉ० अतीन्द्र सिंह तोमर, प्राध्यापक, डॉ० भगवत सहाय शा० महाविद्यालय, ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. डॉ० शिवराज सिंह तोमर, प्राध्यापक, अम्बाह पी०जी० स्वशासी महा० अम्बाह , मुरैना। 2. डॉ० बेताल सिंह राठौर, प्राध्यापक, शा० स्नातकोत्तर महा० मुरैना।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ० श्रीमती निर्मला खलस्रो को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. भूगोल अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा समाजशास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ० अवधराज सिंह तोमर, सह-प्राध्यापक, श्रीमंत विजयाराजे सिधिया महा० अड़ोखर, भिण्ड। 2. डॉ० सुनीति श्रीवास्तव, प्राध्यापक, एम०एल०बी० शा० उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ० ज्योत्स्ना सक्सैना, प्राध्यापक, स्व० श्रीमती इंदिरागांधी शा० कन्या महा० शिवपुरी।
28(2)पाँच	1. डॉ० अयूब खॉन, प्राध्यापक, एम०एल०बी० शा० उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर। 2. डॉ० साधना तोमर, प्राध्यापक, व्ही०आर०जी० स्नातकोत्तर महा० मुरार, ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ० अवधराज सिंह तोमर को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समाजशास्त्र अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 255

दिनांक : 08/08/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा राजनीति विज्ञान अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो0 ए0पी0एस0 चौहान, आचार्य,
राजनीति विज्ञान अध्ययनशांला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।

28(2)दो

1. डॉ0 जयश्री त्रिवेदी, प्राध्यापक,
शा0 स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया।
2. डॉ0 रेनु राय, सहा-प्राध्यापक,
स्व0 श्रीमती इंदिरागांधी शा0 कन्या महा0 शिवपुरी।

28(2)तीन

1. रिक्त।

28(2)चार

1. डॉ0 अनुपम गुप्ता, प्राध्यापक,
शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. डॉ0 नीलेन्द्र सिंह तोमर, सहा-प्राध्यापक,
माधव महाविद्यालय, ग्वालियर।

28(2)पाँच


1. डॉ0 शुभा श्रीवास्तव, प्राध्यापक,
विजयाराजे शा0 कन्या स्नातकोत्तर महा0 मुरार।
2. डॉ0 कविता अग्रवाल, प्राध्यापक,
शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो0 ए0पी0एस0 चौहान, आचार्य को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. राजनीति विज्ञान अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

19 18 1

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 244

दिनांक : 6/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो0एस0के0 शुक्ला, आचार्य,
अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।

28(2)दो

1. डॉ0 श्रीमती भगवती, प्राध्यापक,
विजयाराजे शा0 कन्या पी0जी0 कॉलेज, मुरार।
2. डॉ0 संध्या बोहरे, प्राध्यापक,
एम0एल0बी0 शा0 उत्कृष्ट महा0 ग्वालियर।

28(2)तीन

1. रिक्त।

28(2)चार

1. डॉ0 राजवीर सिंह किरार, प्राध्यापक,
शा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना।
2. डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक,
शा0 महर्षि अरविन्द महाविद्यालय, गोहद।

28(2)पाँच

1. डॉ0 अनीता जैन, प्राध्यापक,
शा0 कन्या महाविद्यालय, शिवपुरी।
2. डॉ0 ए0के0 गुप्ता, प्राध्यापक,
शा0 स्वशासी स्नातकोत्तर महा0 दतिया।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो0 एस0के0 शुक्ला को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अर्थशास्त्र अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 235

दिनांक : 11/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा मनोविज्ञान अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ० नरेन्द्र कुमार नगाईच, शा० के०आर०जी० महाविद्यालय, ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. रिक्त
28(2)पाँच	1. डॉ० अनीता तिवारी, शा० एम०एल०बी० महाविद्यालय ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ० नरेन्द्र कुमार नगाईच को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मनोविज्ञान अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

(17)

14

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 249


दिनांक : 08/08/2019

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा सैन्य विज्ञान अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ0 के0एस0 राठौर, प्राध्यापक, एम0एल0बी0 शा0 उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर। 2. डॉ0 रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सहा-प्राध्यापक, श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया महाविद्यालय, ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ0 महेन्द्र चौधरी, सहा-प्राध्यापक, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय, चार शहर का नाका, हजीरा ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. डॉ0 समीर भार्गव, सहा-प्राध्यापक, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय, चार शहर का नाका, हजीरा ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ0 के0एस0 राठौर (प्राध्यापक) को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सैन्य विज्ञान अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 245

दिनांक : 6/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा प्रा0भा0इति0 संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो0 एस0के0 द्विवेदी, आचार्य,
2. प्रो0 ए0के0 सिंह, आचार्य,
3. प्रो0 आर0पी0 पाण्डेय, आचार्य,
प्रा0भा0इति0 संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला,
जी0वि0वि0 ग्वालियर।

28(2)दो

1. रिक्त।

28(2)तीन

1. रिक्त।


28(2)चार

1. रिक्त।

28(2)पाँच

1. डॉ0 शांतिदेव सिसौदिया, एसो0 प्रोफेसर,
प्रा0भा0इति0 संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला,
जी0वि0वि0 ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो0 एस0के0 द्विवेदी को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रा0भा0इति0 संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 242


दिनांक : 21/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा गृह-विज्ञान अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ0 (श्रीमती) अपर्णा शर्मा, प्राध्यापक, विजयाराजे शा0 कन्या महा0 मुरार। 2. डॉ0 मंजू दुबे, प्राध्यापक, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ0 शैलजा जैन, सहायक प्राध्यापक, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर। 2. डॉ0 पूर्णिमा शाहा, सहा0 प्राध्यापक, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. डॉ0 सुनीता शर्मा, सहा0 प्राध्यापक, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर। 2. डॉ0 चारु कटारे, प्राध्यापक, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ0 (श्रीमती) अपर्णा शर्मा को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. गृह-विज्ञान अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

14 17 2

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/252

दिनांक : 08/08/2019

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा विधि अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. प्रो० संजय कुलश्रेष्ठ, आचार्य, विधि संस्थान, जी०वि०वि० ग्वालियर।
28(2)दो	1. डॉ० सुहेल अजीम कुरेशी, सहा- प्राध्यापक, चौधरी दिलीपसिंह लॉ स्नातकोत्तर महा० भिण्ड।
28(2)तीन	1. डॉ० गणेश दुबे, उपाचार्य, विधि संस्थान जी०वि०वि० ग्वालियर।
28(2)चार	1. रिक्त।
28(2)पाँच	1. डॉ० (श्रीमती) अंजुली शर्मा, सहा-प्राध्यापक, एम०एल०बी० शा० उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर। 2. डॉ० नीती पाण्डेय, सहा-प्राध्यापक, माधव महाविद्यालय, ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो० संजय कुलश्रेष्ठ, आचार्य को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विधि अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

(13)

18

29

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/251

दिनांक : 08/08/2019

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा शिक्षा शास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त।
28(2)दो	1. डॉ0 विनोद सिंह भदौरिया, हिन्दूपत इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, राघवगढ़, गुना। 2. डॉ0 कमलेश सिंह, जैन कॉलेज, ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. रमा त्यागी, प्राचार्य, विभाग-शिक्षा शास्त्र, इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर। 2. डॉ0 नीलम मिश्रा, व्याख्याता, शिक्षा शास्त्र, माधव कॉलेज, ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. रिक्त।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ0 विनोद सिंह भदौरिया को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शिक्षा शास्त्र अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 251

दिनांक : 21/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा भौतिकी अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो0 ए0के0 श्रीवास्तव, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला
2. प्रो0 नीरज जैन, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला
3. प्रो0 आर0के0 तिवारी, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला

(सेवा निवृत्त)
पत्र की प्रति
सलशन

28(2)दो

1. डॉ0 (श्रीमती) मीनल गोखले, सहा0 प्राध्यापक, शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर।
2. डॉ0 आर0के0एस0 डण्डोलिया, सहा0 प्राध्यापक, व्ही0आर0जी0 शा0 कन्या महाविद्यालय, मुरार।

28(2)तीन

1. डॉ0 डी0सी0 गुप्ता (उपाचार्य) भौतिकी अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।

28(2)चार

1. डॉ0 विजय कुमार गुप्ता, सहा0 प्राध्यापक, पार्वती बाई गोखले विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. डॉ0 एन0के0 भारद्वाज, एसो0 प्रोफेसर, शासकीय पी0जी0 कॉलेज मुरैना।

28(2)पाँच


1. डॉ0 रामकुमार डण्डोलिया, सहा0 प्राध्यापक, शा0 व्ही0आर0जी0 कन्या स्ना0 महा0 मुरार।
2. डॉ0 नागेन्द्र चतुर्वेदी, प्राध्यापक, एस0एम0एस0 शा0 आदर्श विज्ञान महा0 ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो0 ए0के0 श्रीवास्तव को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. भौतिकी अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका०/पाठ्यक्रम/2019/243


दिनांक : 5/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा रसायन शास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. प्रो० आनंद हल्हे, आचार्य, 2. प्रो० एस०के० गुप्ता, आचार्य, 3. प्रो० राधा तोमर, आचार्य, 4. प्रो० एस०के० श्रीवास्तव, आचार्य, 5. प्रो० डी०डी० अग्रवाल, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।
28(2)दो	1. डॉ० (श्रीमती) बीना सिंह, प्राध्यापक; शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर। 2. डॉ० स्वाति पेंडसे, सहा०-प्राध्यापक, पार्वतीबाई गोखले विज्ञान महा० ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ० ए०एस० गहलोट, प्राध्यापक, शा० पी०जी० कॉलेज, मुरैना। 2. डॉ० किरन बर्मन, प्राध्यापक, शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. रिक्त।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो० एस०के० गुप्ता को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।



कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. रसायन विज्ञान अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।



सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 238

दिनांक : 2/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा गणित अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो० रेनू जैन, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।
2. प्रो० ओ०पी० मिश्रा, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।

28(2)दो

1. डॉ० हरपाल सिंह चौहान, प्राध्यापक, शासकीय के०आर०जी० स्वशासी महा०, ग्वालियर।
2. डॉ० प्रमोद कुशवाह, सहा-प्राध्यापक, शासकीय महर्षि अरविन्द महाविद्यालय, गोहद, भिण्ड।

28(2)तीन

1. रिक्त।

28(2)चार

1. डॉ० रविन्द्र बाबू ए., सहायक प्राध्यापक, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर।
2. डॉ० वी०वी० सिंह, प्राध्यापक, शासकीय के०आर०जी० स्वशासी महा०, ग्वालियर।

28(2)पाँच

1. डॉ० आर०के० श्रीवास्तव, प्राध्यापक, एस०एम०एस० शा० आदर्श विज्ञान महा० ग्वालियर।
2. डॉ० एम०बी० शर्मा, प्राध्यापक, शासकीय एम०जे०एस० महाविद्यालय, भिण्ड।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो० ओ०पी० मिश्रा को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. गणित अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ २५०

दिनांक : २१/८/१९

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा भू-विज्ञान अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. प्रो० एस०एन० महापात्रा, आचार्य भू-विज्ञान अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।
28(2)दो	1. डॉ० सुयश कुमार, सहा० प्राध्यापक, एस०एम०एस० शा० विज्ञान आदर्श महा० ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. रिक्त।
28(2)पाँच	1. रिक्त।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो० एस० एन० महापात्रा को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. भू-विज्ञान अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 246


दिनांक : 6/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा वनस्पति विज्ञान अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. प्रो0 अविनाश तिवारी, आचार्य, 2. प्रो0 महेन्द्र कुमार गुप्ता, आचार्य, वनस्पति शास्त्र अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।
28(2)दो	1. डॉ0 आर0पी0 सिंह, सहा0 प्राध्यापक, शा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना। 2. डॉ0 जी0डी0 व्यास, प्राध्यापक, विजयाराजे शा0 कन्या पी0जी0 महा0 मुरार।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ0 मधु लक्ष्मी शर्मा, प्राध्यापक, शा0के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर। 2. डॉ0 शीला कुमार, सहा0 प्राध्यापक, शा0 कन्या महाविद्यालय, शिवपुरी।
28(2)पाँच	1. डॉ0 सुशील मण्डेरिया, सहा0 प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर। 2. डॉ0 सपन पटेल, सहा0 प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो0 अविनाश तिवारी को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वनस्पति शास्त्र अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/253

दिनांक : 8/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा पर्यावरण अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. डॉ० हरेन्द्र कुमार शर्मा,
पर्यावरण अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।
2. प्रो० एस०एन० महापात्रा,
भू-विज्ञान अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।

28(2)दो

1. रिक्त।

28(2)तीन

1. रिक्त।


28(2)चार

1. रिक्त।

28(2)पाँच


1. डॉ० निमिषा जादौन
पर्यावरण रसायन अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा डॉ० हरेन्द्र कुमार शर्मा को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. पर्यावरण अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 228

दिनांक : 1/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा वाणिज्य अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. प्रो० उमेश होलानी, आचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला 2. प्रो० के०एस० ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला 3. प्रो० एस०के० सिंह, आचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला जी०वि०वि० ग्वालियर।
28(2)दो	1. डॉ० हरीश कुमार अग्रवाल, शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर। 2. डॉ० शिवकुमार श्रीवास्तव, विजयाराजे शा० कन्या पी०जी० कॉलेज, मुरार।
28(2)तीन	1. रिक्त।
28(2)चार	1. डॉ० एस०एस० खण्डेलवाल, शा० स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी कन्या महा० शिवपुरी। 2. डॉ० विनोद त्रिपाठी, कुसुमबाई जैन कन्या महा० सदर बाजार, भिण्ड।
28(2)पाँच	1. डॉ० राजेन्द्र खटीक, वाणिज्य अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर। 2. डॉ० कौशल अवस्थी, माधव महाविद्यालय, ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो० उमेश होलानी को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वाणिज्य अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

28

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 254

दिनांक : 08/08/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मैनेजमेंट) अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो० सुविज्ञा अवस्थी आचार्य,
2. प्रो० योगेश उपाध्याय आचार्य,
प्रबंध अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।

28(2)दो

1. रिक्त।

28(2)तीन

1. रिक्त।

28(2)चार

1. डॉ० तारिका सिकरवार, प्राध्यापक,
प्रेस्टीज इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्वालियर।
2. डॉ० स्नेहा राजपूत, सहा-प्राध्यापक,
प्रेस्टीज इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर।

28(2)पाँच

1. डॉ० गरिमा माथुर, सहा-प्राध्यापक,
प्रेस्टीज इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर।
2. डॉ० स्वर्णा परमार,
प्रबंध अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो० ~~सुविज्ञा अवस्थी~~ को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।

योगेश उपाध्याय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मैनेजमेंट) अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2019/ 234

दिनांक : 11/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा फार्मैसी अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. प्रो0 मुकुल तेलंग, फार्मैसी अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।
	2. प्रो0 सुमन जैन, फार्मैसी अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।
28(2)दो	1. रिक्त।
28(2)तीन	1. डॉ0 मनोज शर्मा, फार्मैसी अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।
28(2)चार	1. रिक्त।
28(2)पाँच	1. डॉ0 नवनीत गरुड़, फार्मैसी अध्ययनशाला, जी0वि0वि0 ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो0 मुकुल तेलंग को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. फार्मैसी अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)